



2026:AHC: 165721

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 2852/1988

सिद्दीक और एक अन्य

.....अपीलार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

अपीलार्थी(गण) के अधिवक्ता

: कुमार धनंजय, शेर बहादुर

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: अपर शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 88

माननीय न्यायमूर्ति संजीव कुमार

1. यह आपराधिक अपील, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में 'द.प्र.सं.') की धारा 449 के अंतर्गत अपीलार्थी सिद्दीक और महमूद द्वारा प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण वाद संख्या 4 वर्ष 1988, थाना मुरादनगर, जिला गाजियाबाद में धारा 446 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 21.10.1988 के विरुद्ध दाखिल की गई है।
2. आक्षेपित आदेश द्वारा, विचारण न्यायालय ने थानाध्यक्ष, थाना मुरादनगर, जिला गाजियाबाद के माध्यम से अपीलार्थियों से प्रतिभूति बंधपत्र की राशि 5000/- रुपये की वसूली के लिए नया वसूली वारंट जारी करने का निर्देश दिया।
3. इस अपील के लंबित रहने के दौरान, अपीलार्थी संख्या 2, महमूद की मृत्यु हो गई और आदेश दिनांक 17.02.2026 के माध्यम से उसके विरुद्ध अपील उपशमित हो गई। अब यह अपील केवल अपीलार्थी संख्या 1, सिद्दीक के विरुद्ध शेष है।
4. वाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता की एक कार्यवाही में, जीवित अपीलार्थी सिद्दीक एक फारुक का प्रतिभू बना था और नियत तिथि पर, जब फारुक उपस्थित

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



नहीं हुआ, तो प्रतिभुओं को उसे न्यायालय के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया गया था, जिसमें विफल रहने पर, 05.04.1988 को अपीलार्थियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए कि फारूक को न्यायालय के समक्ष पेश न करने के लिए उनसे 5000/- रुपये की प्रतिभूति राशि क्यों न वसूल की जाए। उपरोक्त नोटिस अपीलार्थियों को तामील किए गए थे और 05.04.1988 को उनके विरुद्ध वसूली वारंट जारी किए गए थे। तत्पश्चात्, 21.10.1988 को, अपीलार्थियों ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि वे बीमार हैं और फारूक की तलाश में हैं तथा उन्होंने उसे न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए दो महीने का समय मांगा। उपरोक्त प्रार्थना पत्र को आक्षेपित आदेश दिनांक 21.08.1988 द्वारा खारिज कर दिया गया और प्रतिभूति राशि की वसूली के लिए उनके विरुद्ध नया वसूली वारंट जारी किया गया।

5. मैंने अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता श्री कुमार धनंजय और राज्य के लिए विद्वान ए.जी.ए. को सुना है।

6. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि आक्षेपित आदेश विधि की दृष्टि में दूषित है, क्योंकि यह पर्याप्त कारण बताए बिना पारित किया गया था, इसलिए, आक्षेपित आदेश अपास्त किए जाने योग्य है।

7. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. का तर्क है कि आक्षेपित आदेश किसी भी तात्त्विक अवैधता और अनियमितता से ग्रस्त नहीं है और इस प्रकार, इस आपराधिक अपील में कोई बल नहीं है तथा यह खारिज किए जाने योग्य है।

8. दोनों पक्षकारों के अभिवेदनों और अभिलेख के परिशीलन के दृष्टिगत, यह निर्विवाद है कि आक्षेपित आदेश धारा 446 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पारित किया गया था। आगे बढ़ने के लिए, तत्काल संदर्भ हेतु धारा 446 दंड प्रक्रिया संहिता को उद्धृत करना उचित होगा, जो इस प्रकार है:

धारा 446: प्रक्रिया जब बंधपत्र समपहत हो गया हो:

(1) जब इस संहिता के अधीन कोई बंधपत्र न्यायालय के समक्ष हाजिरी के लिए या संपत्ति पेश करने के लिए है और उस न्यायालय को, या किसी ऐसे न्यायालय को जिसको

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



वह मामला बाद में अंतरित कर दिया गया है, समाधानप्रद रूप में यह साबित कर दिया जाता है कि बंधपत्र समपहत हो गया है,

या जब इस संहिता के अधीन किसी अन्य बंधपत्र की बाबत उस न्यायालय को, जिसने वह बंधपत्र लिया था, या किसी ऐसे न्यायालय को, जिसको वह मामला बाद में अंतरित कर दिया गया है,

या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय को समाधानप्रद रूप में यह साबित कर दिया जाता है कि बंधपत्र समपहत हो गया है, तो वह न्यायालय ऐसे सबूत के आधारों को लेखबद्ध करेगा, और ऐसे बंधपत्र से आबद्ध किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह उसकी शास्ति दे या कारण बताए कि वह क्यों न दी जाए।

स्पष्टीकरण.-- किसी न्यायालय के समक्ष हाजिरी के लिए या संपत्ति पेश करने के लिए बंधपत्र की शर्त का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत किसी ऐसे न्यायालय के समक्ष हाजिरी की या, यथास्थिति, संपत्ति पेश करने की शर्त भी है जिसको वह मामला बाद में अंतरित किया जाए।

यदि पर्याप्त कारण दर्शित नहीं किया जाता है और शास्ति नहीं दी जाती है, तो न्यायालय उसे वसूल करने के लिए इस प्रकार कार्यवाही कर सकेगा मानो ऐसी शास्ति इस संहिता के अधीन उसके द्वारा अधिरोपित जुर्माना हो:

परंतु जहां ऐसी शास्ति नहीं दी जाती है और पूर्वोक्त रीति से वसूल नहीं की जा सकती है, वहां इस प्रकार प्रतिभू के रूप में आबद्ध व्यक्ति, शास्ति की वसूली का आदेश देने वाले न्यायालय के आदेश से, सिविल जेल में इतनी अवधि के कारावास का भागी होगा जो छह मास तक की हो सकेगी।

(3) न्यायालय, ऐसा करने के अपने कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात्, उल्लिखित शास्ति के किसी भाग की छूट दे सकेगा और केवल भाग के संदाय को ही प्रवर्तित करा सकेगा।

(4) जहां किसी बंधपत्र का प्रतिभू बंधपत्र के समपहत होने से पूर्व मर जाता है, वहां उसकी संपदा बंधपत्र के संबंध में सभी दायित्वों से उन्मोचित हो जाएगी।



(5) जहां कोई व्यक्ति, जिसने धारा 106 या धारा 117 या धारा 360 के अधीन प्रतिभूति दी है, किसी ऐसे अपराध का सिद्धदोष ठहराया जाता है जिसका किया जाना उसके बंधपत्र की, या धारा 448 के अधीन उसके बंधपत्र के बदले निष्पादित बंधपत्र की शर्तों का भंग है, वहां उस न्यायालय के, जिसने उसे ऐसे अपराध का सिद्धदोष ठहराया था, निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि का उपयोग इस धारा के अधीन उसके प्रतिभू या प्रतिभूओं के विरुद्ध कार्यवाहियों में साक्ष्य के रूप में किया जा सकेगा और यदि ऐसी प्रमाणित प्रतिलिपि का इस प्रकार उपयोग किया जाता है, तो न्यायालय उपधारणा करेगा कि ऐसा अपराध उसके द्वारा किया गया था, जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए।”

9. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आक्षेपित आदेश यह कारण दर्ज किए बिना पारित किया गया था कि प्रतिभूति राशि की वसूली का आदेश देने के लिए अपीलार्थियों के विरुद्ध पर्याप्त कारण था और यह उन्हें सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित किया गया था। धारा 446 (1) यह प्रावधान करती है कि न्यायालय उस व्यक्ति से, जिसने बंधपत्र निष्पादित किया है, एक कारण बताओ नोटिस के माध्यम से शास्ति का भुगतान करने की अपेक्षा कर सकता है कि इसे क्यों न वसूल किया जाए। उप-खंड (2) यह प्रावधान करता है कि यदि पर्याप्त कारण नहीं दिखाया जाता है और शास्ति का भुगतान नहीं किया जाता है, तो न्यायालय इसे वसूल करने के लिए आगे बढ़ सकता है, यदि ऐसा जुर्माना संहिता के अंतर्गत उसके द्वारा लगाया गया जुर्माना हो।

10. उपरोक्त प्रावधान के दृष्टिगत, यदि हम आक्षेपित आदेश का परीक्षण करते हैं, तो यह प्रतीत होता है कि यह तात्त्विक अनियमितता और अवैधता से ग्रस्त है, क्योंकि नोटिस जारी होने के बाद, अपीलार्थी विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए और उस व्यक्ति को पेश करने के लिए समय मांगते हुए एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसके लिए वे प्रतिभू बने थे, हालांकि, विचारण न्यायालय ने बिना कोई पर्याप्त कारण दर्ज किए प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया और प्रतिभूति राशि की वसूली के लिए वसूली वारंट जारी कर दिया। आक्षेपित आदेश से आगे पता चलता है कि विचारण न्यायालय स्वयं निश्चित नहीं था कि अपीलार्थी फारूक को न्यायालय के समक्ष पेश कर पाएंगे या नहीं, और अपीलार्थियों को पर्याप्त अवसर दिए बिना, उनके विरुद्ध वसूली वारंट जारी कर दिया गया।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



11. इसलिए, मेरे सुविचारित मत में, आक्षेपित आदेश तात्त्विक अनियमितता और अवैधता से ग्रस्त है। प्रतिभूति राशि की वसूली के लिए कोई पर्याप्त कारण दर्ज किए या प्रकट किए बिना वसूली वारंट जारी किया गया था। इसके अतिरिक्त, अपीलार्थियों को उनके विरुद्ध जारी किए गए नोटिसों के जवाब में कारण बताने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया था। केवल धारा 446 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत नोटिस जारी करना और अपीलार्थी को पर्याप्त अवसर प्रदान न करना, अपीलार्थियों के लिए न्याय की विफलता का कारण बना है, क्योंकि उन्हें आक्षेपित आदेश पारित करने से पूर्व पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया था।

12. उपरोक्त के दृष्टिगत, यह स्पष्ट है कि वर्तमान वाद में प्रतिभूति बंधपत्र की राशि की वसूली के लिए आक्षेपित आदेश अपीलार्थियों को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना पारित किया गया था। इस प्रकार, विचारण न्यायालय ने आक्षेपित आदेश विधि के अनुसार पारित नहीं किया है। इसलिए, आक्षेपित आदेश विधि की दृष्टि में कायम रहने योग्य नहीं है और उपरोक्त चर्चा के दृष्टिगत, यह अपास्त किए जाने योग्य है और यह अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

13. तदनुसार, यह अपील **स्वीकार** की जाती है और प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण वाद संख्या 4 वर्ष 1988, थाना मुरादनगर, जिला गाजियाबाद में धारा 446 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पारित आदेश दिनांक 21.10.1988 को **अपास्त** किया जाता है।

14. सूचना और आवश्यक अनुपालन के लिए विचारण न्यायालय के अभिलेख के साथ इस आदेश की एक प्रति संबंधित विचारण न्यायालय को प्रेषित की जाए।

6 अगस्त, 2026

शुभम

(न्यायमूर्ति संजीव कुमार)